कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन-आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाचार्य-उमावि /प्रधानाध्यापक-मावि पद के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर) सम्बन्धी आदेशांक/दिनांक (कॉलम संख्या-02 में वर्णितानुसार) में, निम्नानुसार, कॉलम संख्या-6 में उल्लेखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता हैं :-

क्रं सं	विभाग का पूर्व में जारी आदेशांक / दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि (DD/MM/YY)	सेवानिवृत्ति तिथि (DD/MM/YY)	अपेक्षित आंशिक संशोधन 🕖
1	2	3	4	5	6
1	शिविरा—मा / संस्था / बी—2 / सेवानिवृतियां / 2020—21 / समेकित—ा दिनांक 16 जनवरी 2020	जयवीर सिंह प्रधानाचार्य राउमावि राजगढ, चूरु।	05-05-1960	31-05-2020	कार्मिक के संदर्भ में जारी सेवानिवृति संबंधी आदेश में कम संख्या 47 पर अंकित कार्मिक का नाम जयवीर सिंह नेहरा के स्थान पर जयवीर सिंह पढा जावे।

शेष शर्ते मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 05.03.2020 क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना., प्र.अ/से0नि0 संशो0/2020-21 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही / पालनार्थ प्रेषित है:-

1-उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

2-सम्बंन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

3-संबंधित मुख्ये जिला शिक्षा अधिकारी।

4-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।

5—मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

6-सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्पयूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेत्

7—संबंधित संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक

8-रक्षित पत्रावली